

डिक्री बमुकदमें ईबतदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88 आरटीए

प्रकरण संख्या:- 340/2025

1. ओम प्रकाश पुत्र रजीराम
2. कृष्ण पुत्र रजीराम
3. श्योपतराम पुत्र रजीराम

जाति नायक साकिनान नगराना तहसील संगरिया
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़
(राजस्थान)
वादीगण

बनाम

1. रजीराम पुत्र बीरबल जाति नायक साकिन नगराना तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़
2. कमला पत्नी पपू पुत्री रजीराम जाति नायक सा.बजीतपुर कटियावाली तह. खुईया सरवर
3. कृष्णा पत्नी मदनलाल पुत्री रजीराम जाति नायक सा0बजीतपुर कटियावाली तह0 खुईया सरवर
तहसीलदार "राजस्व" संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष आते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री नवरत्न वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि संगरिया तहसील के चक 2 एमएमके खाता संख्या 77/65 जमाबन्दी सम्वत 2071-2074 में प्रतिवादी संख्या 1 रजीराम पुत्र बीरबल के नाम दर्ज कृषि भूमि का वादीगण ओमप्रकाश, कृष्ण, श्योपतराम पि. रजीराम को बहिब खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा उक्त निर्णय बाबत यदि किसी न्यायालय में स्थगन आदेश आदि नही है तो राजस्व रिकार्ड में इसका अंकिन किया जावे।

नोट:- प्रश्नगत भूमि बैक रहन मुक्त होने के पश्चात् ही उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे।

निज.....नल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.....अदा करें।

बसब मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 30.7.2025 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
जिला हनुमानगढ़